

न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

प्रार्थी

मिसेज चन्द्रसिंह उर्फ जुनु कुमारी पत्नी स्व.
रिटायर्ड एयर वाईस मार्शल चन्दनसिंह-फौत
के कायम मुकाम- सज्जनसिंह पुत्र
चन्दनसिंह एवं अन्य
जाति राजपूत निवासी सूर्यकुंज, सी-22,
पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी

1-भारत संघ जरिये मिलीटरी एस्टेट अधिकारी,
डिफेन्स एस्टेट अधिकारी, राजस्थान सर्कल,
जयपुर
2-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र

(मूल वाद अ.धा. 24, डिफेन्स एण्ड इन्टरनल सिक्योरिटी ऑफ इण्डिया
एक्ट 1971)

जीसीएमएस नं. 2024 / 17

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुए ।
11.02.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र तथा उसके साथ संलग्न प्रमाणित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रमाणित आर्डरशीट के अवलोकन से पाया गया कि मूल वाद में तारीख पेशी दिनांक 27.07.1999 को प्रार्थिया के वकील को पैरवी करने की हिदायत नहीं होना जाहिर करने पर प्रार्थिया को पैरवी करने के नोटिस जारी किये गये, नोटिस तामिल हो जाने पर प्रार्थिया का पुत्र तारीख पेशी, दिनांक 16.10.2000 को उपस्थित हुआ तथा वकालत नाम पेश करने हेतु समय चाहा किन्तु निर्णय दिनांक 27.03.2001 तक प्रार्थिया या उसकी ओर से पैरवी करने हेतु कोई प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 3 में भी स्वीकार किया गया कि तारीख पेशी दिनांक 16.10.2000 को उपस्थित होकर वकालत नामा पेश करने हेतु समय चाहा गया था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थिया के पुत्र को वाद की पूर्ण जानकारी थी फिर भी उनके द्वारा निर्णय दिनांक 27.03.2001 तक न तो वकालत नामा पेश किया व न ही प्रार्थिया स्वयं उपस्थित हुई। निर्णय दिनांक 27.03.2001 के बाद भी निर्धारित समयावधि में भी रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करके लगभग 24 वर्ष पश्चात रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। किसी भी वाद में प्रार्थीपक्ष की ही जिम्मेदारी होती है कि अपने वाद से संबंधित तारीख पेशी/निर्णयों की जानकारी स्वयं रखे। उक्त आधार पर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।</p>	

(गौरव अग्रवाल)

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (तब.)

